पर्यावरण नहीं पॉल्यूशन

मंत्री विपुल के न चाहते हुए भी पॉल्यूशन बोर्ड ने थूका हुआ चाटा

नगर निगम को भी जांच का ड्रामा करना पड़ा

फ़रीदाबाद (म.मो.) सूरजकुंड रोड पर अरावली की पहाड़ियों में बनने वाले डिलाइट होटल का प्रोजेक्ट ध्वस्त हो गया है। दिनांक 12 अप्रैल को एनजीटी के सामने पेश हरियाणा सरकार के वकील ने हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ़ से जारी पत्र पेश किया। इसमें कहा गया है कि डिलाइट वालों को जो कंसेंट दी गयी थी वह किसी होटल की नहीं बल्कि मनोरंजन क्लब एवं रिसोर्ट की थी। सन् 2015 में जारी की गयी यह कंसेंट भी बोर्ड ने वापस ले ली है।

सरकार की तरफ़ से यह भी कहा गया कि होटल को नहीं बनने दिया जायेगा, जितना निर्माण कार्य हो चुका है उसे तुरंत तोड़ दिया जायेगा। पॉल्यूशन बोर्ड ने यह पत्र 11 अप्रैल यानी पेशी से ठीक एक दिन पहले जारी किया है। इस पर बोर्ड के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर हैं।

बोर्ड के इसी पत्र के आधार पर डिलाइट वालों ने नगर निगम से पूरे होटल का नक्शा पास कराया। वन विभाग सहित अन्य विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर के बड़े पैमाने पर तेजी से काम शुरू कर दिया। बेशक होटल मालिक ने इस सारे खेल में पॉल्यूशन व नगर निगम सहित सभी विभागों को मोटे पैसे दिये थे, लेकिन पैसे देने के बाद उसको होटल निर्माण की

मंत्री गोयल : पर्यावरण नहीं पॉल्यूशन

आयुक्त शाइन : आंच नहीं जांच

जो स्वीकृति मिली उसे तो फ़र्जी नहीं कहा जा सकता। इस सारे मामले में होटल मालिक से भी बड़े अपराधी वे तमाम अधिकारी हैं जिन्होंने अपने अधिकारों को बेच कर एक ग़ैर कानूनी काम को होने दिया।

सवाल सबसे बड़ा यह उठता है कि पॉल्यूशन बोर्ड ने उक्त कंसेंट यानी क्लब आदि बनाने की स्वीकृति दे कैसे दी? क्लब एवं मनोरंजन रिसोर्ट तथा होटल के बीच के भेद को परिभाषित कौन करेगा? इन दोनों में फ़र्क ही क्या है? दोनों एक ही चीज़ तो हैं।

'**मज़दूर मोर्चा**' पहले भी कई बार लिख चुका है कि यह पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नहीं बल्कि पॉल्यूशन बोर्ड है। इसमें लिखा कंट्रोल शब्द तो केवल जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिये डाला गया है। जिस बोर्ड का चेयरमैन बनने के लिये करोड़ों की बोली लगती हो और ज़िलों में लगने के लिये लाखों की तो ऐसे लोग पॉल्यूशन कंट्रोल करने के बजाय फ़ैलाने का ही तो काम करेंगे।

जहां तक नगर निगम का सवाल है इसके बारे में भी कई बार स्पष्ट लिखा जा चुका है कि इसके अधिकारी यदि हरामखोरी व रिश्वतखोरी छोड़ दें तो सारा शहर स्वत: साफ़ सुथरा व स्मार्ट हो जाय। उक्त होटल का निर्माण कार्य इन अफ़सरों की हरामखोरी व रिश्वतखोरी के चलते ही इतना आगे बढ पाया। अब निगमायुक्त मोहम्मद शाइन जांच का ड्रामा चलाने की बात करते हैं। जांच तो हुई पड़ी है। कुछ करने की हिम्मत हो तो तमाम सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करायें।

वन विभाग वाले किसी पेड़ की एक टहनी काटने वाले के विरुद्ध तो झट से मुकदमा खड़ा कर देते हैं और पूरे के पूरे वन क्षेत्र को उजाड़ने वाले को पूछते तक नहीं। यहां थोक के भाव तैनात वन अधिकारियों की बात तो छोड़िये, अरावली में तैनात एक-एक वन रक्षक (गार्ड) लाखों की मंथली ऐसे ही नहीं वसूलता।

मैट्रो रेल व राजमार्ग चौड़ा करने के लिये अनापत्ति देने में इसी विभाग ने बरसों लगा दिये थे। क्यों? क्योंकि सरकारी काम था पैसा कोई मिलना नहीं था, इस लिये फ़ाइल इधर से उधर भटकती रही और दोनों सार्वजनिक प्रोजेक्ट बरसों पिछड़ कर रह गये। यहां सबसे बड़ा सवाल यह भी पैदा होता है कि इस सारे काम के लिए एक वरूण श्योकंद को ही क्यों मैदान में उतरना पड़ा? सरकार के इतने सारे महकमे व जिला प्रशासन क्या केवल जनता का खून पीने के लिए पाल रखे हैं?

मंत्री विपुल गोयल ने डांटा पॉल्यूशन अधिकारी को

यद्यपि स्थानीय पॉल्यूशन अधिकारी की ओर से एनजीटी में कोई बयान नहीं दिया गया था और न ही उसे पार्टी बनाया गया था। इस मामले में पार्टी सीधे-सीधे भारत सरकार व हरियाणा सरकार को बनाया गया था। हरियाणा सरकार की ओर से ही सहायक एडवोकेट जनरल एनजीटी में पेश हुए थे और उन्होंने ही पॉल्यूशन बोर्ड की ओर से उक्त जवाब दाखिल किया था।

इसके बावजूद स्थानीय विधायक एवं पॉल्यूशन तथा उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने जम कर अपना गुस्सा एक स्थानीय पॉल्यूशन विभाग के उच्चधिकारी पर निकाला। गोयल का कहना था कि उसने होटल की कंसेंट वापस क्यों होने दी? बड़ा अजीब सवाल था मंत्री महोदय का। मंत्री में यदि कोई हिम्मत है तो जाकर पॉल्यूशन बोर्ड के चेयरमैन से भिड़ें।

मंत्री गोयल का इस तरह से झुंझलाना एवं भड़कना इतना तो सिद्ध करता ही है कि होटल के सारे खेल में वे भी शुरू से शामिल रहे हैं। पर्यावरण विभाग उनके आधीन होने के चलते ही होटल बनाने की कसेंट जारी हुई थी।

दरिंदों ने मंदिर में 4 दिन बच्ची के सामूहिक बलात्कार के बाद की थी हत्या; सोए रहे भगवान!

जन्जवार विशेष

यहां यह बहस नहीं है कि भगवान है या नहीं पर अगर है तो मानवता के किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसके जगने के लिए इससे अधिक जुर्म और क्या चाहिए?

जम्मू के कठुआ में 8 वर्षीय बच्ची से सामूहिक रेप और हत्या के मामले में हिंदूवादी संगठन और वकील इसलिए बलात्कारी दरिंदों के पक्ष और समर्थन में आ गए क्योंकि लड़की मुस्लिम और दरिंदे हिंदू जाति से थे।

सवाल एक ही क्या मोदी के समय में इसी हिंदूवाद के लिए कट्टरपंथी प्यासे थे जिसमें न इंसानियत होगी न मानवीयता और न ही सरकार और कानून का भय।

एक 8 बरस की बच्ची से चार दिन तक 7 लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार होता है। बच्ची चीखे—चिल्लाए न उसके लिए उसको ड्रग्स देकर रेप किया जाता है। मंदिर में चाचा, भतीजा से लेकर सिपाही तक सब उसके साथ रेप करते हैं और आश्चर्य देखिए कि इन दरिंदों के पक्ष में हिंदूवादी संगठन और स्थानीय बार एशोसिएशन इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि दरिंदे हिंदू जाति से हैं और लड़की मुस्लिम। गौरतलब है कि बच्ची की हत्या पत्थरों से कुचलकर की गयी। इसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में भी हो गई है कि बच्ची का कई बार कई दिनों तक गैंगरेप हुआ है और पत्थरों से मारकर उसकी हत्या की गई है।

जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में 8 वर्षीय बच्ची के साथ जनवरी में हुए सामूहिक दुष्कर्म और जघन्य हत्या के मामले में जम्मू की कठुआ पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ 10 अप्रैल को चार्जशीट पेश कर दिया।

चार्जशीट के मुताबिक इस घटना का मुख्य आरोपी संजी राम बकरेवाल समुदाय से बदला लेने की योजना 4 जनवरी को बना चुका था। यह बात उसने अपने नाबालिग भतीजे को भी बताई। जानकारी के मुताबिक यहां के स्थानीय कुछ हिंदूवादी नेताओं की कोशिश थी कि इस घटना के बाद वह यहां से बकरेवाल समुदाय के मुस्लिमों को खदेड़ देंगे।

4 जनवरी को ही रिटायर्ड राजस्व कर्मचारी संजी राम ने अपने भतीजे से कहा कि आसिफा को किडनैप करना है। 7 जनवरी को संजी राम ने अपने नाबालिग भजीजे से कहा कि तुम आसिफा का उसके घर के पीछे के जंगलों से अपहरण कर लेना, जहां वह रोज घोड़ों को चराने जाती है।

एक तरफ संजी ने भतीजे को जंगल भेज दिया तो दूसरी तरफ उसने दीपक और विक्रम को इपीट्रील 0.5 एमजी के 10 टैबलेट लाने को भेजा। दुकानदार दीपक और विक्रम को दवा दे दें और शक न करें, इसके लिए संजी राम ने अपने चाचा की दवा की पर्ची दे दी, जो उनके दिमागी इलाज की थी। यह दवा बेहोशी के काम आती है।

पर उस दिन संजी राम का भतीजा 8 वर्षीय मासूम बच्ची आसिफा का अपहरण नहीं कर पाया। इसके अगले दिन 8 जनवरी को दीपक ने उससे यह कहते हुए अपहरण करने को भेजा कि तुम अगर ऐसा करोगे तो हम तुम्हें बोर्ड परीक्षाओं में नकल करा देंगे।

9 जनवरी को संजी राम का भतीजा प्रवेश नाम के लड़के साथ हीरा नगर गया, जहां से वे मालार नाम की दर्द कम करने वाली चार टैबलेट ले आए।

10 जनवरी को संजी राम के भतीजे और प्रवेश ने लड़की को पकड़ के ड्रग दी। ड्रग देने के बाद लड़की को मंदिर ले गए। उसके बाद नाबालिग भतीजे ने रेप किया। फिर प्रवेश ने भी। बाद में उसे मंदिर के कमरे में बंद कर प्लास्टिक से ढंक दिया।

11 जनवरी को आसिफा के मां—बाप मंदिर की ओर भी बेटी को खोजने आए, लेकिन संजी राम ने कहा कि शायद वह किसी रिश्तेदार के यहां चली गयी हो। 11 को ही दोपहर में दीपक खजूरिया और संजी राम का भतीजा मंदिर में आए और उन्होंने फिर से आसिफा को ड्रग दे दिया, जिससे वह बेहोश रहे। एक बार फिर शाम को आरती करने से पहले भी भतीजा मंदिर में आया और देखा कि वह बेहोश है। वहीं से उसने संजी राम के बेटे विशाल को फोन किया और कहा कि अगर अपनी वासना शांत करनी है तो यहां शिकार पड़ा है, आ जा।

जिन्हें लगता है कि कल भारत बंद था

जिन्हें लगता है कि कल भारत बंद था या आज भारत बंद है वो बेहद मासूम लोग हैं। उन्हें भ्रम है कि पूरा भारत दुकान के शटर की तरह है.. बस शटर गिरा नहीं कि भारत बंद...

नहीं! भारत हमेशा खुला रहेगा। बंद तो हम-आप होते हैं ...कभी धर्म की कोठरी में, कभी जाति की कोठरी में और कभी अपने स्वार्थ की कोठरी में..

वैसे बंद होने को तो पूरी-पूरी रात दुकाने बंद होतीं हैं लेकिन आपको यह विश्वास रहता है कि मेरा देश खुला है क्योंकि जब आपका देश बंद हो जायेगा फिर न ही आप खुले रहेंगे न ही आपकी दुकानें...इसलिए खोलिए खुद को। अपने मस्तिष्क को.. अपने संकीर्णता को।

भारत तो सदैव खुला ही है।

बंद आप हैं, आपका मस्तिष्क है, आपकी सोच है..

-रिवेश प्रताप

12 जनवरी को विशाल मेरठ से जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले की तहसील हीरानगर के रसाना गांव पहुंच गया। गांव जंगल से घिरा हुआ है। संजी राम के भतीजे ने बेहोश पड़ी आसिफा को दर्द की तीन गोलियां दीं। इस बीच पुलिस और बकरेवाल समुदाय के लोग पुलिस के साथ बच्ची की तलाश में निकले। इधर हेड कांस्टेबल तिलक राज को इस बात का पता चल गया। उसने संजी राम को बचाने के लिए डेढ़ लाख रुपए मांगे, जिसे राम की बहन तृप्ति देवी ने तिलक राज को दिए।

13 जनवरी को फिर से विशाल और संजी राम के भतीने ने बच्ची का बेहोशी दिया, जिससे वह होश में न आए। इसी शाम संजी राम ने भतीजे को कहा कि वह आसिफा की हत्या कर दे, जिससे यह पूरा झंझट खत्म हो।

14 जनवरी को संजी राम का भतीजा, प्रवेश, दीपक और विशाल मिलकर आसिफा को पास के एक पुल के पास ले गए। आसिफा का फिर यहां दीपक और राम के भतीजे ने बलात्कार किया। फिर इन दोनों ने उसकी ही चुन्नी से उसका गला घोंट दिया। उसके बाद संजी राम के भतीजे ने पत्थर से दो बार आसिफा के सिर पर मारा जिससे वह निश्चिंत हो सके कि आसिफा मर गयी है। हत्या के बाद फिर एक बार मंदिर में आसिफा के शव को लेकर पहुंचे।

15 जनवरी को हीरा नगर की एक नहर में शव को फेंकने की योजना थी, लेकिन ड्राइवर प्लान के मुताबिक नहीं आया। ऐसे में संजी राम ने कहा कि आसिफा की लाश को जंगल में फेंक दो, क्योंकि लाश अगर मंदिर में रहेगी तो आने—जाने वालों को शक होगा। उसके बाद संजी राम के भतीजे ने जंगल में ले जाकर आसिफा का शव फेंक दिया। लाश फेंकते वक्त निगरानी में संजी राम का बेटा विशाल मुस्तैद था। बाद में दोनों घर लौट आए। घर आने के बाद राम का बेटा विशाल मेरठ लौट गया।

17 जनवरी आसिफा की लाश जंगल में मिली और बकरेवाल समुदाय के लोगों द्वारा आंदोलनों का दौर चल पड़ा।

पुलिस ने चार्जशीट में रेप और हत्या का मास्टरमाइंड रिटायर्ड राजस्व अफसर संजी राम को बताया है। संजी राम ने रेप में बेटे विशाल और भतीजे को भी शामिल किया था, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने केस की जांच से जुड़े विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया, सुरिंदर कुमार, प्रवेश कुमार, सहायक पुलिस इंस्पेक्टर और हेड कॉन्स्टेबल तिलक राज को भी सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

लेकिन जब क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया तो कठुआ बार एसोसिएशन ने इसका विरोध किया। विरोध इतना संगठित था कि पुलिस ने रात 9 बजे जज के आवास पर चार्जशीट दाखिल किया। बार एसोसिएशन का कहना था कि यह पूर्व राजस्व कर्मचारी संजी राम और उसके परिवार के खिलाफ एक साजिश है। इस मामले में एक और नाटकीय मोड़ यह है कि आरोपी की मां और अन्य चार महिलाएं वहां भूख हड़ताल पर भी बैठी हैं।

वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी लिखते हैं, मासूम सी महज़ 8 साल की बच्ची पर वहशीपन से यातनाए देने बाद कई दिनों तक निर्मम बलात्कार करते रहे, उन आरोपियों के खिलाफ़ चार्जशीट को रोकने के लिए भगवा वकीलों ने राम नाम के नारे लगाए. क्या राम के नाम को बलात्कारियो को छुड़वाने के लिए उपयोग किया जा सकता है.. ?

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06